

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अगस्त 2010—श्रावण 25, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच(68).—मध्यप्रदेश वृत्तिकर नियम, 1995 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा यह उपबंध करती है कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन नियोक्ता द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 3 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2. आवेदन, उक्त नियमों के नियम 3 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

3. नियोक्ता या उस व्यक्ति से जो इलेक्ट्रॉनिक रीति में आवेदन देता है, किसी अन्य रीति में आवेदन देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु वह मूल आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. एफ. ए-3-13-2010-1-पांच(68).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-13-2010-1-पांच(68), दिनांक 16 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 16st August 2010

No. F-A-3-14-2010-1-V-(68).— In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Madhya Pradesh Vritti Kar Niyam, 1995, the State Government, hereby, provides that an application for grant of registration certificate under section 8 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) may be furnished by an employer or a person electronically in Form 1 or Form 3, as the case may be, through the official web portal of the department (www.mptax.net/ www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The application shall be signed and verified in accordance with the provisions of rule 3 of the said rules.
3. The employer or the person who furnishes the application electronically, shall not be required to furnish the application in any other manner, but he shall send the application in original to the Registering Authority by registered post.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.